



प्रेस विज्ञप्ति
23/01/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोझीकोड ने इस्माइल चक्रथ की मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों की जांच के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 21/01/2025 को अनंतिम रूप से 22.02 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति कुर्क की है। कुर्क की गई संपत्तियों में केरल में 67.96 लाख रुपये की सावधि जमा जैसी चल संपत्तियां और 21.34 करोड़ रुपये की 30 अचल संपत्तियां शामिल हैं।

ईडी ने मेसर्स ग्रैंड मार्ट ट्रेडिंग, कतर के व्यवसाय विकास के लिए यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, कतर से क्यूएआर 30,643,204 (लगभग 61.3 करोड़ रुपये) का ऋण न चुकाने के लिए आईपीसी, 1860 की धारा 420 के तहत केरल पुलिस अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू, कन्नूर और कासरगोड यूनिट) द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। ऋणों को न तो चुकाया गया और न ही व्यापार विस्तार के बताए गए उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया गया और ऋणदाता को ऋण वसूली के लिए आगे की कार्रवाई करने से वंचित करके अवैध रूप से भारत में भेज दिया गया।

ईडी ने इससे पहले 28.08.2024 को इस्माइल चक्रथ और उनके सहयोगियों से जुड़े विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए थे और 10 बैंक खातों को फ्रीज किया था। इसके अतिरिक्त, अपराध की आय के शोधन के आरोपियों को जोड़ते हुए आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए। आखिरकार, इस्माइल चक्रथ को गिरफ्तार कर लिया गया, माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायालय (मराड मामले), कोझीकोड ने इस्माइल चक्रथ की हिरासत देने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

आगे की जांच जारी है।